न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 32/2019

वादीगण:–

बनाम

प्रतिवादी:–

1 रावतराम पुत्र केराराम
2 गेनाराम पुत्र केराराम
3. घीसाराम पुत्र केराराम जातिगण सीरवी, निवासीगण बेरा हांम्बडो का पीपलिया ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)।

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति:–

1. श्री धमीचन्द देवासी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 18/10/22

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अंन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बगडी चक संख्या 2 में वादीगण की पु तैनी कृशि भूमि खसरा नंबर 4433(पुराना खसरा नम्बर 2014 2021), 4434(पुराना खसरा नम्बर 2022), 4435(पुराना खसरा नम्बर 2022 मिन), 4438(पुराना खसरा नम्बर 2032 मिन), 4436(पुराना खसरा नम्बर 2032 मीन), 4437(पुराना खसरा नम्बर 2032 मिन), कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 23.15 हैक्टर स्थित है। जिस पर वादीगण का नियमित रूप से पु तैनी कब्जा चला आ रहा है, वादीगण का अपने हिस्से में पु तैनी कब्जा आया हुआ है। वादीगण कृशक व्यक्ति है तथा कृशि कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोशण करते है तथा वादीगण सभी अनपढ व निरक्षर व्यक्ति है। वादीगण के पिता केराराम पुत्र किशनाराम का आज से करीब 20 वर्श पूर्व देहान्त हो चुका है तथा केराराम की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। वादीगण ही केराराम के कानूनी वारिश एवं उत्तराधिकारीगण है तथा आज दिन तक किसी प्रकार से नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि वादीगण अनपढ है। वादीगण की वंशाावली में केराराम (फौत) के पुत्र गेनाराम, रावतराम, घीसाराम व पत्नी मुन्नीदेवी है। उक्त कृशि भूमि भू'–प्रबन्ध विभाग के मिलान बन्दोबस्त संवत 2030 में वादीगण के पिता का नाम केरा पुत्र किशना 1/5 हिस्सा दर्ज है तथा इसके पूर्व की जमाबंदी संवत 2025–2028 में भी केरा पुत्र किशना दर्ज है। जमाबंदी संवत 2042 से 2045 के अनुसार भी केरा पुत्र किशना दर्ज है। इस प्रकार उक्त कृशि भूमि के वादीगण ही अपने पिता की मृत्यु के पश्चात एक मात्र मालिक है। वादीगण के पिता भी कृषक व अनपढ थे, जिसकी वजह से रेकर्ड में नाम की दुरस्ती की जानकारी नही रही। वादीगण के पिता की मृत्यु भी आज से करीब 20 वर्श पूर्व हो चुकी है, उस वक्त

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

बतौर नामान्तरकरण हेतु पटवारी हल्का से निवेदन किया गया, लेकिन नाम दर्ज नहीं किया गया, समय व्यतीत होता गया। वादीगण ने दिनांक 18.12.2018 को चालु साल की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो सर्वप्रथम जानकारी में आया कि उक्त कृशि भूमि मे वादीगण के पिता केरा के स्थान पर मेगा वल्द किशना दर्ज है, जबकि वादीगण के परिवाद में मेगा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। जिस पर वादीगण द्वारा संपूर्ण पुराना रिकार्ड प्राप्त किया तो जानकारी में आया कि " तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा संवत 2046–2049 की जमाबंदी के दस्तावेज में अंकन के समय सेवन से केरा वल्द कि ना के स्थान पर मेगा वल्द किशना दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकारी नहीं है, जबकि संपूर्ण दस्तावेज में वादीगण के पिता को नाम केरा वल्द किशना है। जिस पर दिनांक 05.01.2019 को पटवारी हल्का व तहसीलदार, सोजत को उक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृशि भूमि में वादीगण के पिता केरा वल्द किशना दर्ज करने तथा केराराम की मृत्यु होने की वजह से वादीगण व मुन्नी देवी के नाम खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादी के द्वारा आ वासन दिया, लेकिन आज दिन तक रेकर्ड में मेगा वल्द कि ना के स्थान पर नाम दुरस्त कर केरा वल्द किशना दर्ज नहीं किया। वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट एवं 136 आर. एल. आर. एक्ट का वाद प्रस्तुत किया है। बिनाया दावा दिनांक 18.12.2018 को राजस्व रेकर्ड की नकल लेने से तथा दिनांक 05.01.2019 को दस्तावेज प्रस्तुत करने के प चात भी वादीगण के पिता मेघाराम के स्थान पर केराराम दर्ज नहीं करने से एवं केवल मात्र आ वासन देने के कारण बमुकाम बगडी नगर तहसील सोजत में पैदा हुआ, जो अंदर म्याद पे ा किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा बगडी चक संख्या 2 में स्थित खसरा नंबर 4433, 4434, 4435, 4438, 4436, 3337 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 23.15 हैक्टर किस्म जा0सो0 चा0सो0 बंजड़ कृशि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मेघा पुत्र कि ना के स्थान पर सही व वास्तविक नाम केराराम पुत्र कि नाराम दर्ज किये जाने तथा लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करने की ईश्तदुआ की है। सरहद मौजा बगडी चक संख्या 2 में स्थित उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृशि भूमि के राजस्व रेकर्ड में केराराम पुत्र कि नाराम का देहान्त होने के कारण वादीगण को खातेदार का तकार घोशित किये जाने एवं अलग से लगान कायम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। तहसीलदार,सोजत ने अपना जबाब दावा दिनांक 20.08.2019 को पेश कर अंकित किया है कि पेरा 1 से 5 तक वादी को स्वयं सिद्ध करने तथा पैरा 6 में प्रार्थी का कथन सही होना तथा जमाबंदी संवत 2046 से 2049 में कि ना पुत्र मेगा दर्ज होना अंकित किया है। जबकि जमाबंदी संवत 2042 से 2045 में केरा पुत्र कि ना दर्ज होना तथा पेरा 7 से 9 कानूनी होना अंकित किया है। तहसीलदार, सोजत ने उक्त जबाब दावा पेश कर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किये जाने में अपनी सहमति अंकित कर दुरूस्ती योग्य होना अंकित किया है। दिनांक 21.10.2020 को

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी द्वारा पस्तुत जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वाद पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित सरहद मौजा बगडी चक 02 में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 4433, 4434, 4435, 4438, 4436, 4437 कुल खसरा 06 रकबा 23.15 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व रेकर्ड मेघा पुत्र किशना के स्थान पर केराराम पुत्र किशनाराम दुरूस्त करवा कर स्व केरा पुत्र किशना के स्थान पर वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

2. अन्य अनुतोष

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादी स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1 तथा पीडब्ल्यु–2 घीसाराम के तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश किए, के मुख्य परीक्षण एवं दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 3 करवाये बयान कलमबद्ध किये गये, सा0मि0 है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान सम्वत 2030 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –1 है, जमाबन्दी सम्वत 2025 से 28 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –2 है, वादस्थ भूमि की सम्तव 2042 से 2045 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –3, वादस्थ भूमि जमाबन्दी सम्वत 2046 से 2049 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श – 04 है, पेश किये है। जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये, अन्य शहादतवादीगण पेश नही करना चाहने से शहादतवादीगण बन्द की गई तथा जिरह प्रतिवादी करना नहीं चाहने से जिरह शून्य रही।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा बगडी चक संख्या 2 में वादीगण की पुश्तैनी कृशि भूमि खसरा नंबर 4433(पुराना खसरा नम्बर 2014 2021), 4434(पुराना खसरा नम्बर 2022), 4435(पुराना खसरा नम्बर 2022 मिन), 4438(पुराना खसरा नम्बर 2032 मिन), 4436(पुराना खसरा नम्बर 2032 मीन), 4437(पुराना खसरा नम्बर 2032 मिन), कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 23.15 हैक्टर स्थित है।वादीगण की वंशावली में केराराम (फौत) के पुत्र गेनाराम, रावतराम, घीसाराम व पत्नी मुन्नीदेवी है। उक्त कृशि भूमि भू'–प्रबन्ध विभाग के मिलान बन्दोबस्त संवत 2030 में वादीगण के पिता का नाम केरा पुत्र किशना 1/5 हिस्सा दर्ज है तथा इसके पूर्व की जमाबंदी संवत 2025–2028 में भी केरा पुत्र किशना दर्ज है। जमाबंदी संवत 2042 से 2045 के अनुसार भी केरा पुत्र किशना दर्ज है। तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा संवत

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

2046–2049 की जमाबंदी के दस्तावेज में अंकन के समय सेवन से केरा वल्द किशना के स्थान पर मेगा वल्द किशना दर्ज कर दिया गया। जिसे पुनः राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किये जावे। जबाब बहस में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में कोई आपति नही होना जाहिर किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण स्वतंत्र गवाहो के बयानात तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

1. आया वाद पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित सरहद मौजा बगडी चक 02 में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 4433, 4434, 4435, 4438, 4436, 4437 कुल खसरा 06 रकबा 23.15 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व रेकर्ड मेघा पुत्र किशना के स्थान पर केराराम पुत्र किशनाराम दुरूस्त करवा कर स्व केरा पुत्र किशना के स्थान पर वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य मूल भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान सम्वत 2030 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –1 है। इस खसरा मिलान में ए से बी वादी के पिता केरा वल्द किशना का 1/5 हिस्सा दर्ज सुदा है। जमाबन्दी सम्वत 2025 से 28 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –2 है जिसमें वादी के पिता का नाम केरा वल्द किशना इन्द्राज है। वादस्थ भूमि की सम्तव 2042 से 2045 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श –3 है जिसमें भी वादी के पिता का नाम केरा वल्द किशना दर्ज शुदा है। वादस्थ भूमि जमाबन्दी सम्वत 2046 से 2049 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श – 04 है जिसमे मेगा वल्द किशना सेवन से दर्ज किया जाना बखूबी प्रमाणित होता है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता मय वादी ने बहस के दौरान माफिक वाद पत्र व वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर कायम की गई तनकी संख्या 01 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई है। फलस्वरूप वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से बतौर खातेदार मेघा पुत्र किशना के स्थान पर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (राज.)

केराराम पुत्र किशनाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में मेघा पुत्र किशना के स्थान पर केराराम पुत्र किशनाराम के नाम से प्रविष्टि दुरूस्त दर्ज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बगडी चक संख्या 2 में स्थित खसरा नंबर 4433, 4434, 4435, 4438, 4436, 3337 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 23.15 हैक्टर किस्म जा0सो0 चा0सो0 बंजड की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सदभाविक/मानवीय चूँक/भूलवश गलत रूप से दर्ज वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार मेघा पुत्र किशना के स्थान पर केराराम पुत्र किशनाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। तत् पश्चात् केराराम के विधिक वारिसानों के नाम विधिवत् नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (राज॰)

निर्णय आज दिनांक 18/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज॰)

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

वादीगणः– **बनाम** **प्रतिवादीः–**

1 रावतराम पुत्र केराराम
2 गेनाराम पुत्र केराराम
3. घीसाराम पुत्र केराराम जातिगण सीरवी, निवासीगण बेरा हांम्बडो का पीपलिया ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)।

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 32/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बगडी चक संख्या 2 में स्थित खसरा नंबर 4433, 4434, 4435, 4438, 4436, 3337 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 23.15 हैक्टर किस्म जा0सो0 चा0सो0 बंजड की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सदभाविक/मानवीय चूॅक/भूलवश गलत रूप से दर्ज वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार मेघा पुत्र किशना के स्थान पर केराराम पुत्र किशनाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। पश्चात् केराराम के विधिक वारिसानों के नाम विधिवत् नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। तहसीलदार सोजत को इस आदेश व डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलियाबी तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/10/22 जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			